05/2023

9.11.23

वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी वि. / लो. सभा चुनाव बाबत दीगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 28.12.23 को पेश हो।

28.12.23 पत्रावली पेश हुई।

वादिनी के वकील के तौर पर उनके ब्रीफ होल्डर वकील उप0। विप्रार्थी सं. 4 के पैरोकार उप0।

विप्रार्थी सं. 1 से 3 को सुनवाई हेतु प्र्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। आवेदन पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थीनी के वकील की बहस में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के पूर्वज दुर्गाराम की खातेदारी का खेत मौजा दाखां पटवार क्षेत्र दाखां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 796 रकबा 10. 9458 हैक्टेयर की भूमि आई हुई हैं, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीनी अपनी पैतृक सम्पति में माता के साथ समान हिस्से का सहखातेदार है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का सहखातेदार घोषित किये जाने हेतु प्रार्थीनी ने एक वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है जो प्रथम दृष्टया साबित है। उक्त पैतृक आराजी जिसमें प्रार्थीनी का हिस्सा विप्रार्थी संख्या 1 के साथ सृजित हो चुका है राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में प्रार्थीनी भी विप्रार्थी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से की हकदार है तथा विप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर बिना परिवार की वैध आवश्यकता के विप्रार्थी संख्या 1 आराजी का विक्रय, हस्तान्तरण करने पर ऊतारू है और [illegible] हो गई तो न केवल प्रार्थीनी के दावे का मकसद स[illegible] अपितु प्रार्थीनी को भारी क्षति होगी व मुकद[illegible] जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव [illegible] स्थिति में प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी[illegible] को अस्थाई निषेधा[illegible] से पाबन्द फरमावें कि वाद के निर्णय त[illegible] वादग्रस्त आराजी ख[illegible] खसरा संख्या 796 रकबा 10.9458 हैक्टेयर मौजा दाखां पटवार मण्डल दाखां तहसील सिणधरी के किसी भी भाग का बैचान हस्तान्तरण न करे एवं आराजी के रेकर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे, तहसीलदार सिणधरी से इस निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेश फरमायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर SDO सिणधरी

हमनें प्रार्थीनी स्वयं की बह... ...था पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्ताव... का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी पक्षकारान के पिता–पति दुर्गा की फौतेदगी पर पारित ना.क.सं. 718 की प्रविष्टि अनुसार प्रार्थीनी की माता गटू अकेले के नाम से अंकित हुई। कि प्रार्थीनी कथन अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पैतृक पुश्तेनी होने के तथ्यानुसार कि जिसके अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्व पुरूष दुर्गा की थी। जंहा तक प्रार्थीनी की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी हिस्सा सामुहिक रूप से हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थिया द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदगिंया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मददेनजर रखते हुए विप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्राथीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे खेत खसरा संख्या 796 रकबा 10.9458 हैक्टेयर ग्राम दाखा पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हस्तान्तरण यथा बेचान इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिण...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.02.14 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested